बिहार सरकार
पर्यटन निदेशालय
एक्सटेंशन भवन, बी. ब्लॉक, प्रथम तल, मुख्य सचिवालय, पटना–800015
फोनः–0612–2217045, Email-dir-tourism-bih@nic.in

आवंटन

पत्रांक :– TDRT/45020/28-2022..... दिनांक .....

प्रेषक,

उदयन मिश्रा,भा.प्र.से.
निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में सारण (छपरा) जिलान्तर्गत हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला (दिनांक 22.11.2026 से 23.12.2026 तक) के आयोजन अवसर पर अस्थायी शिविर निर्माण, विद्युतीकरण एवं जेनरेटर, साफ–सफाई, कलाकारों पर व्यय, रामायण मंचन, अल्पाहार/भोजन, सीसीटीवी, बैरेकेडिंग स्नान घाट एवं अन्य स्थल, पुस्तक मेला, शॉल, मोमेन्टो, बुके एवं अन्य विविध कार्यों के संपादन हेतु कुल राशि 3,25,34,632/– (तीन करोड़ पच्चीस लाख चौंतीस हजार छः सौ बत्तीस रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

1. इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष–3452 पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष 001, निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष 0001–निदेशालय, विपत्र कोड संख्या–46–3452800010001 के अंतर्गत प्राथमिक ईकाई संख्या–0001.20.02 कॉन्फ्रेंस कार्यशाला सेमिनार मद में उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 के उपबंधित आवंटन से किया जायेगा।
2. किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
3. जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक–4561/रा0, दिनांक–29.09.2026 के माँग के आलोक में 3,25,34,632/– (तीन करोड़ पच्चीस लाख चौंतीस हजार छः सौ बत्तीस रूपये) का आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में कर ली जाय।
4. आयोजन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।
5. आयोजन से संबंधित हाई रिज्योलूशन फोटोग्राफ, कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी में अविलंब उपलब्ध कराया जाय, ताकि विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराया जा सके।

ह०/–
निदेशक, पर्यटन

ज्ञापांक :– TDRT/45020/28-2022.....55..... दिनांक .....10/11/26.....

प्रतिलिपि :–
1. जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा–शाखा, पर्यटन निदेशालय, निदेश दिया जाता है कि CFMS प्रणाली के माध्यम से आवंटन उपलब्ध कराया जाय/आई.टी.मैनेजर, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/11/26
निदेशक, पर्यटन